Railway Employees Cooperative Group Housing Society Limited, Delhi

4218. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI K. GOPALAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Managing Committee of the Railway Employees Cooperative Group Housing Society Limited (Reg. No. 113H) had recently been superseded by the Registrar of Cooperative Societies Delhi;

(b) if so, what are the reasons which made the Registrar to take the step;

(c) whether any representation has been received against this decision; and

(d) if so, what action has been taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The reasons for supersession were as under:—

(i) The Society failed to produce the records before the enquiry officer.

(ii) Enrolled members in violation of the provisions of bye laws.

(iii) Allotted flats violating the directive of Registrar of Cooperative Societies.

(iv) Did not circulate Accounts to the members for their record.

(v) Amended the registered by-laws without approval of General Body/ Registrar Cooperative Society.

(vi) Failed to give a satisfactory reply to the Show-cause Notices issued on the above points.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of reply to (c) above.

Affairs of Super Bazar

4219. SHRI T. R. BALU: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) how many share holders are there in the Super Bazar as on date;

(b) what is the share capital of Super Bazar as on date;

(c) how much dividend has been declared during the last three years, yearwise;

(d) how many share holder meetings the Super Bazar convened during the last three years;

(e) the details of each meeting and agenda discussed thereat; and

(f) when the next meeting is expected to be held?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) and (b) As on 30-6-1987, the number of share holders of Super Bazar was 21812 and the amount of share capital was Rs. 118.70 lakhs.

(c) Super Bazar has declared dividend to its share holders @ 6 per cent for each of the two years 1983-84 and 1984-85. The Audit of Accounts for the year 1985-86 has been recently completed and a decision to declare dividend for that year has yet to be taken.

(d) to (f) No meetings of the share holders have been held since the bye-laws of the Super Bazar provide for constitution of a Smaller Representative General Body of the share holders. Delegates to this Smaller Representative General Body have already been elected and its first meeting is likely to be held shortly.

साबन की कीमतें

4220. **श्री सोहन लाल धूसिया :**
श्री शिव कुमार मिश्र :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बाजार में उपलब्ध आम जनता के प्रयोग में आने वाले साबुन

की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिये कोई नीति बनाई है या यह पूर्णतः निर्माताओं और व्यापारियों की इच्छा पर ही निर्भर है ;

(ख) फरवरी, 1987 में रिन, लाइफबॉय, हमाम और लक्स साबुन की कीमतें क्या थी तथा अब अगस्त, 1987 में क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार वास्तव में कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने में स्वयं को असमर्थ पाती है ; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उक्त साबुन निर्माताओं में से किसी को कीमतों में वृद्धि करने पर गिरफ्तार किया है या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सरकार देश में साबुन में प्रयुक्त होने वाले तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष अपरिष्कृत पाम स्टीयरिनय/पाम फैटी एसिड डिस्टिलेट का आयात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साबुन के मूल्य उचित सीमा में बने रहें।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (**नीचे देखिये**)।

(ग) सरकार देश में साबुन में प्रयुक्त होने वाले तेलों की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए हर वर्ष अपरिष्कृत पाम स्टीयरिन/पाम फेटी एसिड डिस्टिलेट का आयात करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साबुन के मूल्य उचित सीमा में बने रहें।

(घ) साबुनों और अपमार्जकों के मूल्यों और उनके वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

विवरण

साबुन के खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति टिकिया)

	25.2.87 को	25.8.87 को
1. रिन अपमार्जक साबुन 125 ग्राम	2.95	3.15
2. लाइफबाय साबुन .	2.85	3.30
3. लक्स साबुन .	3.10	4.00
4. हमाम साबुन .	3.30	3.95

(स्रोत : सुपर बाजार, नई दिल्ली)

दिल्ली प्रशासन की भूमि अधिग्रहण संबंधी नीति

4221. **श्री रशीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में भूमि अधिग्रहण संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन करने की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई नीति अपनाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1987 में, यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि सहित सभी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से अर्जित की जाएंगी। अधिग्रहण करने वाला विभाग प्रस्तावित अर्जन के लिए अपना प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण तब दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि के अर्जन की वर्तमान पद्धति का अनुपालन करते हुए भूमि अर्जित करेगा।